

न्यायालय अपर सिविल जज (क. प्र) कोर्ट संख्या 5 हाथरस

उपस्थित: भावना शर्मा, जे0ओ0 कोड यू0पी0 3592

मूल वाद संख्या 66 सन 2014

शीलेन्द्र कुमार बनाम मंजू देवी आदि

CNR No. UPHT060000752014

शीलेन्द्र कुमार उर्फ शीलेन्द्र पुत्र बाबूलाल कहार निवासी गांव देदामई डाकखाना देदामई तहसील सासनी जिला हाथरस..... वादी

बनाम

1. मंजू देवी पत्नी घमंडी सिंह
2. घमंडीसिंह पुत्र लीलसिंह
3. योगेश पुत्र घमंडी सिंह
4. नीरज पुत्र घमंडी सिंह
5. खोखी पुत्र घमंडी सिंह
6. राहुल पुत्र घमंडी सिंह समस्त निवासी गण गांव देदामई डाकखाना देदामई तहसील सासनी जिला हाथरस..... प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष
7. अनीता देवी पत्नी स्व0 बहादुर सिंह निवासी गांव देदामई डाकखाना देदामई तहसील सासनी जिला हाथरस..... प्रतिवादी द्वितीयपक्ष
8. मनोज कुमार पुत्र श्री राजकुमार सिंह तोमर निवासी गांव देदामई तहसील सासनी जिला हाथरस..... प्रतिवादी तृतीयपक्ष

### निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादी गण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु संस्थित किया है। संक्षेप में वाद पत्र के अनुसार वादी का कथन कुछ इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 7 अनीता देवी ने विवादित आबादी प्लाट स्थित गांव देदामई तहसील सासनी जिला हाथरस 100 वर्ग गज का जिसकी सीमाएं पूरब-रास्ता

P/S

आम भुजा ३० फुट, पश्चिम- पोखर नाप भुजा ३० फुट, उत्तर- मकान सतीश नाप भुजा ३० फुट, दक्षिण-शीलेन्द्र सिंह का मकान (वादी) नाप भुजा ३० फुट प्रतिवादी संख्या ८ मनोज कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह तोमर निवासी गांव देदामई तहसील सासनी जिला हाथरस को मूल = २०००० रूपया में दिनांक २२/०२/२००५ को समझ गवाह विक्रय किया था। उक्त विक्रय अनुबंध के लिखा पट्टी गांव देदामई में ही हो गई थी। वक्त उक्त विक्रय अनुबंध के दिनांक २२/०२/२००५ को उक्त विवादित प्लॉट का कब्जा भी विक्रेता अनीता देवी ने उक्त मनोज कुमार को प्रदान कर दिया था। प्रतिवादी संख्या ८ मनोज कुमार ने वादी से अनुरोध किया कि वह विवादित प्लॉट को उससे मुवलिग २००००/- रूपया में ही क्रय कर ले चूँकि वादी को एक प्लॉट की आवश्यकता थी। लिहाजा वादी ने प्रतिवादी संख्या ८ का अनुरोध स्वीकार कर लिया प्रतिवादी संख्या ८ ने वादी से यह भी कहा कि विवादित प्लॉट के विक्रय के संबंध में लिखा पट्टी पूर्व बैनामा दिनांक २२/०२/२००५ की पुस्त पर ही हो जाएगी। तो वादी का खर्चा बच जाएगा। तो वादी ने जो एक सीधा साधा मामूली पट्टा-लिखा ग्रामीण व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या ८ के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया तो प्रतिवादी संख्या ८ मनोज कुमार मय समझ लेखक व गवाहन विवादित प्लॉट के संबंध में विक्रय की लिखा पट्टी वादी के हक में दिनांक २७/०२/२००५ को पूर्व बैनामा दिनांक २२/०२/२००५ की पुस्त पर ही कर दी और प्रतिवादी संख्या ८ मनोज कुमार ने वादी से विवादित प्लॉट का विक्रय धन मुवलिग ₹२०००० वादी से नगद प्राप्त कर लिए तथा दिनांक २७/०२/२००५ को ही प्रतिवादी संख्या ८ मनोज कुमार ने विवादित प्लॉट का वास्तविक कब्जा वादी को प्रदान कर दिया। तथा प्रतिवादी संख्या ८ ने वादी को उक्त लिखा पट्टी बैनामा भी वादी को सुपुर्द कर दिया। वादी ने प्रतिवादी संख्या ८ मनोज कुमार से दिनांक २७/०२/२००५ को विवादित प्लॉट पर कब्जा प्रदान कर उसके चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल तामीर कर ली तथा विवादित प्लॉट के पूर्व ओर रास्ता आम की तरफ एक गेट लोहे का चढ़वा दिया तथा विवादित प्लॉट में पूर्व उत्तर ओर सीमेंट मसाले की चादर डलवा कर एक बरामदा कोठा का निर्माण करा लिया विवादित प्लॉट में वादी ने अपनी बुर्जी बांध ली विटोरा कंडा ईंधन लकड़ी रख लिए तथा विवादित प्लॉट में वादी के खूटे गड़े हैं। लड़ामनी बनी है वादी के पशु बंधते हैं। तथा वादी व उसके परिवार की रिहायशी है। वादी की रोटी पानी होती है। तथा विवादित प्लॉट वादी बतौर रिहाईसी प्रयोग में अब तक लाता रहा है। प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष निहायत ही सर्कस व दबंग व्यक्ति है। उन्होंने प्रतिवादी गण द्वितीय पक्ष व तृतीय पक्ष से साज कर दिया है। प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष विवादित प्लॉट पर वसाज प्रतिवादी गण द्वितीय व तृतीय पक्ष के जबरन कब्जा करना चाहते हैं। तथा विवादित प्लॉट में हो रहे वादी के निर्माण बाउंड्री वॉल व बरामदा सीमेंट की टीम से फटा हुआ को बलपूर्वक विसमार व ध्वस्त कराना चाहते हैं। विवादित प्लॉट पर वादी ही पूर्णतया काबिज है। प्रतिवादी गण का विवादित प्लॉट पर कोई कब्जा अधिकार व आधिपत्य नहीं है। विवादित प्लॉट की सीमाएं वाद पत्र के नीचे अंकित है। दिनांक १४/०३/२०१४ का वाका है। प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष ने विवादित प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का वह उसमें हो रहे वादी के निर्माण बाउंड्री वॉल व बरामदा आदि को जबरिया तोड़ने फोड़ने व ध्वस्त करने का तथा वादी को अवैध रूप से व बलपूर्वक विवादित प्लॉट संपत्ति से बेदखल करने का असफल प्रयास ने किया मना करने पर आमदा फिसाद हुए और आइंदा मौका मिलने पर विवादित प्लॉट पर जबरन कब्जा करने वह उस पर हो रहे निर्माण को तोड़ने फोड़ने की धमकियां दी। ऐसी दशा में प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष को उक्त नाजायज कार्य करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा वर्जित किया जाना निहायत ही आवश्यक है। अन्यथा वादी के हितों को अपूरणीय हानि पहुंचेगी। विवाद कारण दिनांक १४/०३/२०१४ को प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष द्वारा विवादित प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का व निर्माण वादी ध्वस्त करने का व निर्माण वादी ध्वस्त करने का असफल प्रयास करने मना करने पर आमदा फसाद वादी आइंदा बलपूर्वक विवादित प्लॉट से बेदखल करने व वादी के निर्माण आदि के तोड़फोड़ करने की धमकियां देने व वादी द्वारा विवादित प्लॉट से कब्जा हटाने व अंतिम इनकार दिनांक १५/०३/२०१४ को इस न्यायालय की सीमा के अंदर उत्पन्न हुआ तथा इस न्यायालय को उक्त वाद का श्रवण अधिकार प्राप्त है। वाद मूल्य विवादित संपत्ति की बाजारी कीमत मुवलिग ₹२५००० कायम किया जाता है। तथा उस पर स्थाई

निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु उक्त मूल्यांकन के 1/5 भाग पर मुवलिग 500/- रुपया निर्धारित न्याय शुल्क अदा किया जाता है। वादी निम्न प्रतिकार पाने का अधिकारी है - अ) स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी गण इस आशय की जारी की जाए की प्रतिवादी गण प्रथम पक्ष विवादित संपत्ति प्लॉट स्थित गांव देदामई तहसील सामनी जिला हाथरस जिसकी सीमाएं व विशेष विवरण इस वाद पत्र के नीचे अंकित है पर जवरन कब्जा करने विवादित प्लॉट पर बने निर्माण बाउंड्री वॉल बरामदा आदि को बलपूर्वक विस्मर करने तोड़ने फोड़ने वादी को विवादित संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल करने अर्थात किसी भी प्रकार से विवादित संपत्ति पर वादी के शांतिमय अधिकार व आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से वाज रहे। ब) व्यय विवाद भी वादी को प्रतिवादी गण से दिलाया जावे। स) अन्य न्याय संगत प्रतिकार जो हितकर वादी हो वे सादिर फरमाए जाए।

प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र कागज संख्या 14ए1 में वाद पत्र की समस्त धाराओं को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन यह किया गया है की वादी को कोई कारण विवाद प्रतिवादी गण उत्तर दाता के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का उत्पन्न नहीं होता है और ना वह वाद में मांगे किसी प्रतिकार के पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 7 अनीता देवी ने दिनांक 22/02/2005 को कोई विक्रय पत्र मनोज कुमार के पक्ष में नहीं किया ना ही कथित विक्रय पत्र पर प्रतिवादी संख्या 7 अनीता देवी के निशानी अंगूठा ही है कथित अभिलेख 11ग की भाषा विक्रय पत्र की है वह जिसे वाद पत्र में विक्रय अनुबंध कहा गया है एक फर्जी अवैध एवं निष्प्रभावी अभिलेख है जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत भी नहीं है। कथित अभिलेख 22/02/2005 के आधार पर कथित मनोज कुमार को कोई अधिकार स्वामित्व प्राप्त नहीं है। इस प्रकार कथित अभिलेख दिनांक 22/02/2005 के आधार पर उक्त अभिलेख की पुस्त पर लिखा गया विक्रय पत्र दिनांक 27/02/2005 भी कतई अवैध निष्प्रभावी एवं शून्य है एवं पंजीकृत है उक्त कथित विक्रय पत्र के आधार पर वादी को कोई अधिकार स्वामित्व प्राप्त नहीं हुए। कथित अवैध अभिलेख दिनांक 22/02/2005 के आधार पर प्रतिवादी अनीता ने कोई कब्जा मनोज कुमार को प्रदान नहीं किया और ना ही मनोज ने दिनांक 27/02/2005 को वादी को कोई कब्जा प्रदान किया और ना ही ऐसा किया जाना संभव था। प्रश्न पत्र संपत्ति पर स्थित बरामदा वाउंड्री गेट बुर्जी विटोरा कंडा इत्यादि वादी के नहीं है और ना ही वादी के खूटे गड़े हैं और ना ही वादी के पशु बंधते हैं प्रश्न गत प्लॉट में वादी कि कोई रियायत नहीं है वादी का रिहायशी मकान गांव में अन्य स्थान पर मौजूद है। कथित विक्रय पत्र 11ग में उल्लेखित सीमाओं में दक्षिण ओर शैलेन्द्र सिंह का मकान दर्शित किया गया है जबकि अमीन आंख्या में दक्षिण ओर रास्ता दर्शित किया गया है इस प्रकार वाद पत्र एवं कथित विक्रय पत्र 11ग की सीमाओं में भिन्नता है। इस प्रकार स्वामित्व एवं आधिपत्य के अभाव में वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा स्थिर रहने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 का प्लॉट जिसकी वास्तविक सीमाएं निम्न प्रकार है- पूरब- रास्ता, पश्चिम- पोखर, उत्तर- मकान रामसिंह व सतीशचंद व दक्षिण- मकान हरीश चंद तथा लंबाई चौड़ाई क्रमशः पूरब पश्चिम 45 फुट उत्तर दक्षिण 30 फुट कुल रकबा 125-415 वर्ग मीटर है को प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 11/03/2014 को बजरिया पंजीकृत विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 को मूल्य ₹100000 में विक्रय करके प्रतिवादी संख्या 1 का आधिपत्य करा दिया है विक्रय के दिनांक से ही प्रश्नगत प्लॉट जिसकी सीमाएं व नाप वाद पत्र में गलत अंकित की गई है पर प्रतिवादी संख्या 1 का आधिपत्य करा दिया। विक्रय के दिनांक से ही प्रश्न का प्लॉट पर प्रतिवादी संख्या 1 का शांतिमय अधिकार वह आधिपत्य चला आ रहा है प्रश्न पत्र प्लॉट में लगी बाउंड्री गेट अनीता देवी ने निर्मित कराए थे तथा प्रश्नगत प्लॉट में स्थित खूटे लड़ामनी बुर्जी विटोरा इंधन पशु इत्यादि प्रतिवादी संख्या 1 के हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 का ही आधिपत्य है प्रश्न का प्लॉट में कोई कोटा नहीं बना हुआ है अपितु एक छोटे स्थान पर छोटी दीवार के ऊपर टीन की चादर डाल रखी है जो बरसात आदि में पशुओं के काम आती है एवं आवश्यकता पड़ने पर पहले अनीता देवी तथा अब प्रतिवादी संख्या 1 कच्चे चूल्हे पर खाना इत्यादि बना लेते हैं। वादी का कोई संबंध व सरोकार प्रश्नगत प्लॉट से नहीं है। वाद का मूल्यांकन कम किया

B2

गया है व न्याय शुल्क का पर्याप्त अदा किया गया है। उपरोक्त वास्तविक एवं वैधानिक आपत्तियों के आधार पर वाद वादी स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा सब्य निरस्त होने योग्य है प्रतिवादी गण विशेष व्यय अंतर्गत धारा 35ए व्यवहार प्रक्रिया संहिता पाने के अधिकारी हैं।

प्रतिवादी संख्या 8 पर बजरिया समन दिनांक 10/12/2014 को तामील पर्याप्त मानते हुए दिनांक 23/02/2015 को वाद प्रतिवादी संख्या 8 के खिलाफ एकपक्षीय रूप से अग्रसारित किया गया।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 23/02/2015 को निम्नलिखित वाद विंदु विरचित किए गए।

1. क्या वादी विवादित प्लॉट का मालिक, काबिज व दखील है?
2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
3. क्या वादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है?
4. क्या वादी किसी उपशम को प्राप्त करने का अधिकारी है?

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य <sup>Pw</sup> 1 के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 29ए2, पीडब्ल्यू2 के रूप में मनोज कुमार का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 31ए2, पी डब्ल्यू 3 के रूप में रामबाबू सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 32ए2 तथा पी डब्ल्यू 4 के रूप में रघुवीर सिंह का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 33ए2 पत्रावली पर दाखिल किया गया जिनकी प्रति परीक्षा प्रतिवादी गण के अधिवक्ता द्वारा की गई।

प्रतिवादी गण द्वारा मौखिक साक्ष्य <sup>Dw</sup> 1 के रूप में अनीता देवी का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 34ए1 तथा <sup>Dw</sup> 2 के रूप में मंजू देवी का साक्ष्य शपथ पत्र कागज संख्या 37ए2 पत्रावली पर दाखिल किया गया जिनकी प्रति परीक्षा वादी अधिवक्ता द्वारा की गई।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज संख्या 10ग1 से एक किता विक्रय अनुबंध दिनांक 27/02/2005 कागज संख्या 11ग पत्रावली पर दाखिल किया गया।

प्रतिवादी गण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फेहरिस्त कागज संख्या 27ग से एक किता असल बैनामा नविस्ता अनिता देवी व अनिल कुमार व संतोष कुमार व विपिन कुमार वहक मंजू देवी दिनांक 11/03/2014 कागज संख्या 28क1 लगायत 8 पत्रावली पर दाखिल किया गया।

## निष्कर्ष

### 1. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 1

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित प्लॉट का मालिक कायिज व दखील है?

इस वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह कथन किया गया है की प्रतिवादी संख्या 7 अनीता देवी ने विवादित प्लॉट का विक्रय मूल्य 20000 रुपया में दिनांक 22/02/2005 प्रतिवादी संख्या 8 मनोज कुमार को समस्त गवाहन किया था। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 8 मनोज कुमार ने वादी को विवादित प्लॉट ₹20000 में क्रय किया था। उक्त के संबंध में लिखा पट्टी पूर्व बैनामा दिनांक 22/02/2005 की पुस्त पर ही कर दी थी। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में फेहरिस्त कागज संख्या 10ग1 से एक किता विक्रय अनुबंध दिनांक 27/02/2005 कागज संख्या 11ग दाखिल किया गया है। उक्त विक्रय अनुबंध कागज संख्या 11ग के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विक्रय अनुबंध अनीता देवी व मनोज कुमार के मध्य हुआ है तथा जिस की पुस्त पर हाथ से लिखा विक्रय प्रमाण पत्र जो कि वादी शीलेंद्र सिंह व प्रतिवादी संख्या 8 मनोज कुमार के मध्य हुआ है।

यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि उक्त विक्रय प्रमाण पत्र हाथ से लिखा अपंजीकृत दस्तावेज है।

Section 54 of Transfer of Property Act, 1882 states that

Sale defined "Sale is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised. Sale how made- such transfer in the case of tangible immovable property of the value of 100 rupees and upwards or in the case of a version or other intangible thing can be made only by a registered document."

उपरोक्त के अनुसार विवादित प्लॉट मूल्य ₹20000 में प्रतिवादी संख्या 8 मनोज कुमार द्वारा वादी शीलेंद्र कुमार को क्रय किया गया है। उक्त मूल्य धारा 54 संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम में निर्धारित मूल्य ₹100 से ज्यादा है अर्थात उपरोक्त विक्रय अनुबंध के पुस्त पर हाथ से लिखा विक्रय प्रमाण पत्र अपंजीकृत होने के कारण दूषित है तथा निष्प्रभावी है। इससे यह स्पष्ट है की वादी द्वारा दाखिल विक्रय अनुबंध वादी का विवादित प्लॉट पर कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं करता है।

अतः वादी विवादित प्लॉट का मालिक नहीं है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र की धारा 3 में यह कथन किया गया है की वादी ने प्रतिवादी संख्या 8 मनोज कुमार से दिनांक 27/02/2005 को विवादित प्लॉट पर कब्जा प्रदान कर उसके चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल तामीर कर ली तथा विवादित प्लॉट के पूर्व ओर रास्ता आम की तरफ एक गेट लोहे का चढ़वा दिया तथा विवादित प्लॉट में पूर्व उत्तर ओर सीमेंट मसाले की चादर डलवा कर एक बरामदा का निर्माण करा लिया विवादित प्लॉट में वादी ने अपनी बुर्जी बांध ली बिटोरा कंडा इंधन लकड़ी रख लिए तथा विवादित प्लॉट में वादी के खूटे गड़े हैं। लड़ाभिनी

PK

खनी है वादी के पशु बंधते हैं। तथा वादी व उसके परिवार की रिहायशी है। वादी की रोटी पानी होती है। तथा विवादित प्लॉट वादी बतौर रिहायश प्रयोग में अब तक लाता रहा है।

वादी द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में विवादित प्लॉट पर कब्जा के बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। वादी द्वारा न्यायालय में परीक्षित कराए गए तीन गवाहों में से किसी ने भी अपने प्रति परीक्षा में वादी का विवादित प्लॉट पर कब्जे के समर्थन में कोई कथन नहीं किया गया है।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत की गई वहस के दौरान यह कथन किया गया है कि अमीन आख्या कागज संख्या 13ग2/3 में वादी का विवादित प्लॉट पर कब्जा होना बताया गया है। यहां यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि अमीन आख्या विवादित प्लॉट की चौहद्दी के बाबत देखी जाती है अर्थात वादी का विवादित प्लॉट पर कब्जा होना अमीन आख्या के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित विधि व्यवस्था के अनुसार,

Premji Ratansey v Union of India 1994 SCC (5), the Apex Court held that,

It is equally settled law that injunction would not be issued against title true owner. Therefore, the courts have rightly rejected the relief of declaration and injunction in favour of the petitioner. Even assuming that they had any possession, their possession is wholly unlawful possession of a trespasser and an injunction cannot be issued in favour of a trespasser or a person who gained unlawful possession, as against the owner.

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है की वादी विवादित प्लॉट पर अपना मालिक व काबिज होना सिद्ध नहीं करा पाया है। अतः यह वाद बिंदु वादी के पक्ष में नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

## **2. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 2**

यह वाद बिंदु संख्या इस आशय से विरचित किया गया है की क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

उक्त वाद बिंदु का निस्तारण दिनांक 23/02/2015 को हो चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

8/2

**3. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 3**

यह वाद बिंदु संख्या इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा अपर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है?

उक्त वाद बिंदु का निस्तारण दिनांक 23/02/2015 को हो चुका है जो इस निर्णय का भाग रहेगा।

**4. निस्तारण वाद बिंदु संख्या 4**

यह वाद बिंदु इस आशय से विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी उपशम को प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपरोक्त सभी विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहा है अतः वादी किसी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तदनुसार वाद बिंदु संख्या 4 निस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त सभी विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है की वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण खारिज किए जाने योग्य है।

**आदेश**

वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी गण निरस्त किया जाता है। पक्षकार अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाए।

दिनांक: 10 | 11 | 2021

  
भावना शर्मा  
10.11.2021

अपर सिविल जज (क.प्र.)

कोर्ट संख्या 5

हाथरस


जे0 ओ0 कोड यूपी 3592

न्यायालय अपर सिविल जज (क. प्र) कोर्ट संख्या 5 हाथरस  
उपरिस्थित: भावना शर्मा, जे0ओ0 कोड यू0पी0 3592  
मूल चाद संख्या 66 जन 2014  
शीलेन्द्र कुमार बनाम मंजू देवी आदि  
CNR No. UPMT060000752014

8

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 10 | 11 | 2021

  
10.11.2021  
भावना शर्मा

अपर सिविल जज (क.प्र.)

कोर्ट संख्या 5

हाथरस

जे0 ओ0 कोड यूपी 3592